कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- 3935/15-1, पीलीभीत, दिनांक 14/06/ 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
पीलीभीत।

विषय :- कार्योपरान्त स्वीकृति **(Ex-post Facto)** हेतु जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या-62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम- चरखैला तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु 0.114123 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-**FP/UP/Other/31275/2018)**

सन्दर्भ :- उत्तर प्रदेश, शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक-पी-15/81-2-2022-800(38)/2022 दिनांक-28.03.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-2727/11-सी **FP/UP/Other/31275/2018)** दिनांक-29.03.2022

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन का उक्त संदर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित तथा नोडल अधिकारी का उक्त संदर्भित पत्र जो कि अधोहस्ताक्षरी एवं आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा प्रस्ताव में कमियों का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए है जिसके कम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कमियों का निराकरण कर अभिलेखों सहित सूचना उपलब्ध करायी गयी है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-2501/11-सी दिनांक-24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

Sl. no.	Observations	Compliance
1	प्रस्ताव के पृष्ठ-10 में प्रस्तावित स्थल टाइगर रिजर्व की 10 कि0मी0 की सीमा का कथन अंकित किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ-10 में प्रस्तावित स्थल टाइगर रिजर्व की 10 कि0मी0 की सीमा का कथन अंकित किया गया है जो कि सही है।
2	पृष्ठ-19 के बिन्दु-ए एवं वी में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रस्ताव कार्योपरान्त स्वीकृति से सम्बन्धित है।	पृष्ठ-19 के बिन्दु-ए एवं वी में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है। पुनः संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
3	प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात उल्लंघन किया गया है अथवा प्रस्तुत करने के पूर्व उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किया जाये, भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक-29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाये।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10.01.2018 को ऑन लाइन प्रस्तुत किया गया जबकि रेंज स्तर से दिनांक 18.03.2018 को रेंज केस संख्या 19/2017-18 बीसलपुर रेंज जारी किया गया है जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात ही उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक-29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की गयी है।
4	भू-स्वामित्य वाले विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाये।	भू-स्वामित्य वाले विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान स्वच्छ प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- /15-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपेरिशन लि0 36ए कमला नेहरू मार्ग बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत